

कृषि मंत्रालय  
(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, १२ जुलाई, २००५

### अधिसूचना

सा.का.नि. २४४ - मखाना श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, २००३ का एक प्रारूप, (भारत के राजपत्र भाग-२, खण्ड ३, उपखण्ड (i) तारीख १६ अगस्त, २००३ में पृष्ठ १८६८-१८७७ पर सा.का.नि. २९४, तारीख २९ जुलाई २००३ द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को १९ सितम्बर, २००३ को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने सम्यक् रूप से विचार कर लिया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, १९३७ (१९३७ का १) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

### नियम

#### १. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ :-

- (१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मखाना श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, २००४ है ।
- (२) ये मखाना जिसके अंतर्गत मखाना चूर्ण और तला हुआ मखाना भी है, को लागू होंगे ।
- (३) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

#### २. परिभाषाएं :-

- (i) “कृषि विपणन सलाहकार” से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;
- (ii) “प्राधिकृत पैकर” से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन विहित श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार मखाना का श्रेणीकरण और उन्हें चिन्हांकन करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया है;
- (iii) “प्राधिकार प्रमाण-पत्र” से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी निकाय को, मखाना का श्रेणीकरण करने और उस पर श्रेणी अभिधान चिह्न लगाने के लिए प्राधिकृत करते हुए साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, १९८८ के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;
- (iv) “साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम” से समय-समय पर यथासंशोधित कृषि उपज

(श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, १९३७ (१९३७ का १) की धारा ३ के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, १९८८ अभिप्रेत हैं;

- (v) “श्रेणी अभिधान चिन्ह” से इन नियमों के नियम ५ में निर्दिष्ट “प्रतीक चिन्ह” अभिप्रेत है;  
(vi) “अनुसूची” से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत हैं;

३. **श्रेणी अभिधान :** इन नियमों के प्रयोजन के लिए श्रेणी अभिधान उन श्रेणियों के नाम होंगे जो अनुसूची २, ३ और ४ के स्तम्भ १ के अधीन दी गई मखाना की क्वालिटी को उपदर्शित करे हैं ।

४. **क्वालिटी की परिभाषा :** इन नियमों के प्रयोजन के लिए, क्वालिटी की परिभाषा और साधारण अपेक्षाएं वे होंगी जो अनुसूची २ के स्तम्भ २ से ११, अनुसूची-३ के स्तम्भ २ से ९ और अनुसूची-४ के स्तम्भ २ से ८ में प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने दी गई है ।

५. **श्रेणी अभिधान चिन्ह :** श्रेणी अभिधान चिन्ह “प्रतीक चिन्ह” से मिलकर बनेगा जिसमें प्राधिकार प्रमाण-पत्र संख्या “एगमार्क” शब्द, वस्तु का नाम और श्रेणी अभिधान सहित डिजाइन होगी और जो अनुसूची १ में उपवर्णित डिजाइन के सदृश होगा ।

६. **पैक करने का ढंग :**

(१) मखाना जिसके अंतर्गत चूर्ण और तला हुआ मखाना भी है ऐसी रीति में पैक किया जाएगा जो उत्पाद की स्वास्थ्यकारक, पोषण संबंधी प्रौद्योगिक और इंद्रियग्राही क्वालिटी की रक्षा करेगी,

(२) पैकेजिंग सामग्री मजबूत, स्वच्छ, शुष्क, नमीसह और कीट आकीर्णन या फफूंदी संदूषण से मुक्त होगी ।

(३) पैकेजिंग सामग्री ऐसे पदार्थों से बनी होगी जो उनके आशयित उपयोग के लिए सुरक्षित और उपयुक्त हो जिसके अंतर्गत नए स्वच्छ पटसन के बैग, प्लास्टिक बैग, टिन प्लेट, आधान या कोई अन्य पैकिंग सामग्री जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ के अधीन यथाअनुज्ञात खाद्य श्रेणी की सामग्री से विनिर्मित है

।

(४) मखाना समय-समय पर यथासंशोधित बाट और माप-मानक (पैक की गई वस्तुएं) नियम, १९७७ के उपबंधों के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट विभिन्न मात्राओं में पैक किया जाएगा ।

(५) प्रत्येक पैकेज में एक ही श्रेणी के मखाना होंगे ।

(६) प्रत्येक पैकेज सुरक्षित रूप से बंद और उपयुक्त रूप से मुहरबंद किया जाएगा ।

(७) एक ही श्रेणी और एक ही लॉट/बैच के उत्पाद से युक्त उपभोक्ता पैकों की उपयुक्त संख्या बड़े आधान में पैक की जा सकेगी ।

७. **चिन्हांकन का ढंग :-**

(१) श्रेणी अभिधान चिन्ह मखाना के प्रत्येक आधान पर कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति में साधारण श्रेणीकरण और

-----३

चिन्हांकन नियमों के नियम ११ के अनुसार सुरक्षित रूप से चिपकाया जाएगा या मुद्रित किया जाएगा;

(२) श्रेणी अभिधान चिन्ह के अतिरिक्त प्रत्येक आधान पर निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्टतः और अमिट रूप से चिह्नंकित की जाएंगी ।

- (क) उत्पादक देश का नाम;
- (ख) विनिर्माता/प्राधिकृत पैकर का नाम और पता;
- (ग) पैक किए जाने का स्थान;
- (घ) लॉट/बैच संख्या, कोड संख्या;
- (ड.) पैक किए जाने की तारीख\* ;
- (च) शुद्ध वजन;
- (छ) ----- वर्ष और ----- मास से पूर्व उत्कृष्ट;
- (ज) अधिकतम खुदरा कीमत, सभी करों सहित;
- (झ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो समय-समय पर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(३) चिन्हांकन के लिए प्रयुक्त स्याही ऐसी क्वालिटी की होगी जो वस्तु को संदूषित न करे;

(४) प्राधिकृत पैकर, साधारण श्रेणीकरण चिन्हांकन नियमों के नियम ११ के अनुसार कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् आधानों पर अपना निजी व्यापार चिन्ह चिन्हांकित कर सकेगा परन्तु यह तब जब कि निजी व्यापार चिन्ह, वह इन नियमों के अनुसार आधानों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिन्ह द्वारा उपदर्शित से भिन्न वस्तु की क्वालिटी या श्रेणी उपदर्शित न करता हो ।

८. प्राधिकार प्रमाण-पत्र अनुदत्त करने के लिए विशेष शर्तें : - साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियमों के नियम ३ के उपनियम (८) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें टइन नियमों के अधीन मखाना के श्रेणीकरण और चिन्हांकन के लिए प्राधिकार प्रमाणपत्र अनुदत्त करने की अतिरिक्त शर्तें होंगी, अर्थात् :-

(i) साधारण श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन नियम के नियम ९ के अनुसार, प्राधिकृत पैकर, मखाना की क्वालिटी के परीक्षण के लिए कृषि विपणन सलाहकार अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी प्रयोगशाला तक पहुंच रखेगा ।


(ii) प्रसंस्करण और पैकिंग के लिए परिसर पूर्ण स्वास्थ्यकारक और स्वच्छता की दशाओं में रखे जाएंगे ।

(iii) इन संक्रियाओं में लगे कार्मिकों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और वे किसी सांसर्गिक रोग से मुक्त होंगे ।

-४-

अनुसूची-१

(नियम ५ देखें)  
(प्रतीक चिन्ह की डिजाइन)



वस्तु का नाम -----  
श्रेणी -----

-----५

-५-

अनुसूची-२  
(नियम ३ और ४ देखें)

श्रेणी अभिधान और मखाना की क्वालिटी की परिभाषा

---

विशेष अपेक्षाएं

	द्रव्यमान के आधार पर आर्द्रता प्रतिशत	कार्बनिक बाह्य पदार्थ द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत	क्षतिग्रस्त और विवर्णित पदार्थ द्रव्यमान पर प्रतिशत	कीट द्वारा क्षतिग्रस्त द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत	कुल भस्म (शुष्क आधार पर) द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत	अविलेय अम्ल भस्म द्रव्यमान के आधार पर (शुष्क आधार पर प्रतिशत	परिष्कृत रेशे (शुष्क आधार पर) द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत	अपरिष्कृत प्रोटीन (शुष्क आधार पर) द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत	(एन X 6.25) (न्यूनतम)
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
विशेष	१०.०	०.५	कुछ नहीं	२.०	कुछ नहीं	०.५	०.१	०.५	१०.०	
मानक	१२.०	१.०	कुछ नहीं	५.०	१.०	१.०	०.१	१.०	८.०	

सामान्य अपेक्षाएं

११

मखाना : -

- (१) निम्फेसी फैमिली के, “यूरेल फैरोक्स” गोरगोन फल या फौक्स के परिपक्व, सूखे और ठोस बीजों से अभिप्राप्त उत्पाद होगा ;
- (२) वस्तु के लक्षणों के अनुसार साफ, साबुत और सफेद या दूधिया रंग का और अरोमा से युक्त होगा ;
- (३) तीखे और सुरुचिकर अरोमा से युक्त अभिलक्षण और अरोमेटिक सुवास का होगा ;
- (४) विकृत गंधी स्वाद, मस्टी गंध और सामान्य सुवास से मुक्त होगा ;
- (५) गंदगी, कृतक रोम और मल, कवक, कीट ग्रसन, हानिकारक जीवाणु, कवक, मकड़जाल, योजित रंजक पदार्थ, विषैले पदार्थ, घृणित गंध और अनुसूची में यथा उपदर्शित सीमा के सिवाय अन्य अशुद्धियों से मुक्त होगा ;
- (६) यथासंभव बाह्य काले आवरण से मुक्त होगा ;
- (७) मानव उपभोग के लिए प्रसंस्करण के लिए सुरक्षित और उपयुक्त होगा ;
- (८) अच्छी वाणिज्यिक दशा में और सभी प्रकार से मानव उपभोग के लिए उपयुक्त होगा ;
- (९) प्रति किलोग्राम एफलाटॉक्सिन की ३० माइक्रोग्राम सीमा से अधिक नहीं होगा ;
- (१०) समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ के अधीन विहित फसल, संदूषक (नियम ५७-क) कीटनाशी और नाशक जीवमार अवशिष्ट (नियम ६५) जहरीली धातु (नियम ५७) प्राकृतिक रूप से होने वाले विषैले पदार्थ (नियम ५७-ख) और अन्य उपबंधों के विषय में निर्बन्धनों के अनुसार होगा ।

---६

-६-

अनुसूची-३  
(नियम ३ और ४ देखें)

विशेष अपेक्षाएं

	द्रव्यमान के आधार पर आर्द्रता प्रतिशत  (अधिकतम)	कार्बनिक बाह्य पदार्थ द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत  (अधिकतम)	कुल भस्म (शुष्क आधार पर) द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत  (अधिकतम)	अम्ल अविलेय भस्म (शुष्क आधार पर) द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत  (अधिकतम)	विकृतगंधिता (शुष्क आधार पर) द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत  (अधिकतम)	अपरिष्कृत रेशे (शुष्क आधार पर) द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत  (अधिकतम)	अपरिष्कृत प्रोटीन (शुष्क आधार पर) द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत  (एन X 6.25) (न्यूनतम)	
	१	२	३	४	५	६	७	८
विशेष	१०.०	०.५	०.५	०.१	०.५	०.५	०.५	१०.०
मानक	१२.०	१.०	१.०	०.१	१.०	१.०	१.०	८.०

सामान्य अपेक्षाएं

९

मखाना चूर्ण : -

- (१) मखाना को पीसकर तैयार किया जाएगा;
- (२) वस्तु को लक्षणों के अनुसार साफ, साबुत और सफेद या दूधिया रंग और अरोमा का होगा;
- (३) तीखे और सुरुचिकर अरोमा से युक्त अभिलक्षण और अरोमेटिक होगा;
- (४) विकृत गंधी स्वाद, मस्टी गंध और असामान्य सुवास से मुक्त होगा;
- (५) गंदगी, कृतक रोम और मल, फफूंदी, कीट ग्रसन, हानिकारक जीवाणु, कवक, मकड़जाल, योजित रंजक पदार्थ, विषैले पदार्थ, घृणित गंध और अनुसूची में यथा उपदर्शित सीमा के सिवाय अन्य अशुद्धियों से मुक्त होगा;
- (६) अच्छी वाणिज्यिक योग्य दशा में और सभी प्रकार से मानव उपभोग के लिए उपयुक्त होगा;
- (७) समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ के अधीन विहित फसल, संदूषक (नियम ५७-क) कीटनाशी और नाशक जीवमार अवशिष्ट (नियम ६५) जहरीली धातु (नियम ५७) प्राकृतिक रूप से होने वाले विषैले पदार्थ (नियम ५७-ख) और अन्य उपबंधों के विषय में निर्बन्धनों के अनुसार होगा ।

----७

-७-

अनुसूची-४  
(नियम ३ और ४ देखें)

विशेष अपेक्षाएं

द्रव्यमान के आधार पर आर्द्रता प्रतिशत (अधिकतम)	कुल भस्म (शुष्क आधार पर) द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत, नमक (अधिकतम)	अम्ल अविलेय भस्म द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत (अधिकतम)	विकृतगंधिता द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत (अधिकतम)	अपरिष्कृत रेशे द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत (अधिकतम)	अपरिष्कृत प्रोटीन (शुष्क वसायुक्त आधार पर) (एन X 6.25) (न्यूनतम)	
१	२	३	४	५	६	७
विशेष	५.०	१.०	०.१	०.५	०.५	९.०
मानक	६.०	१.५	०.१	१.०	१.०	८.०

सामान्य अपेक्षाएं

९

मखाना (तला हुआ) :-

- (१) खाद्य तलने वाले पदार्थ में मखाना को तलकर तैयार किया जाएगा और उपयुक्त रूप से लवणित, मधुरित, मसालायुक्त मखाना या अन्यथा सुवासित किया जा सकेगा;
- (२) बेहतर स्वाद के लिए भुरभुरा होगा;
- (३) विकृत गंधी स्वाद, मस्टी गंध और असामान्य सुवास से मुक्त होगा;
- (४) गंदगी, कृतक रोम और मल, फफूंदी, कीट ग्रसन, हानिकारक जीवाणु, कवक, मकड़जाल, योजित रंजक पदार्थ, विषैले पदार्थ, घृणित गंध और अनुसूची में यथा उपदर्शित सीमा के सिवाय अन्य अशुद्धियों से मुक्त होगा;
- (५) अच्छी विपणन दशा में और सभी प्रकार से मानव उपभोग के लिए उपयुक्त होगा;

-----८

-८-

- (६) प्रति किलोग्राम एफलाटॉक्सिन की ३० माइक्रोग्राम सीमा से अधिक नहीं होगा;
- (७) समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ के अधीन विहित फसल, संदूषक (नियम ५७-क) कीटनाशी और नाशक जीवमार अवशिष्ट (नियम ६५) जहरीली धातु (नियम ५७) प्राकृतिक रूप से होने वाले विषैले पदार्थ (नियम ५७-ख) और अन्य उपबंधों के विषय में निर्बन्धनों के अनुसार होगा ।

स्पष्टीकरण :-

१. अकार्बनिक बाह्य पदार्थ - से बालू, पत्थर, धूल, गंदगी, मिट्टी की ढेलियां, बजरी, कंकड़, मिट्टी और कीचड़ और धात्विक टुकड़े अभिप्रेत है ।
२. कार्बनिक बाह्य पदार्थ - से खरपतवार बीज, भूसा, तना, तृण और पादप के अन्य वनस्पति पदार्थ;
३. कीट क्षतिग्रस्त - से ऐसा मखाना (भुना हुआ) अभिप्रेत है जो कीटों द्वारा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से छिद्रित या क्षतिग्रस्त हो;
४. क्षतिग्रस्त और अपवर्णित - से ऊष्मा, रोगाणु, नमी या मौसम या अन्य कारणों से सुस्पष्ट रूप से या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त साबुत या खंडित मखाना (भुना हुआ) अभिप्रेत है ।

(फा.सं.-१८०११/५/२००३-एम.-II)

पी०के० अग्रवाल, संयुक्त सचिव (कृषि विपणन)